तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या : 15/2022** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार मण्डावा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मण्डावा ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम मण्डावा की जमाबंदी सवंत 2074 से 2077 के खाता संख्या 165 में खातेदार बैजनाथ पुत्र जयदेव हिस्सा 1/3 जाति जाट सा.देह मण्डावा दर्ज है। ग्राम मण्डावा में पुछताछ करने पर पाया गया कि प्रार्थी का नाम बजरंगलाल पुत्र जयदेव सही नाम है। उक्त बाबत अभिशंसा सहित रिपोर्ट प्रेषित की है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तहसील मण्डावा के ग्राम मण्डावा की जमाबंदी खाता सं. 165 में प्रार्थी का नाम बैजनाथ पुत्र जयदेव के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र जयदेव शुद्ध करने बाबत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट में स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील मण्डावा के ग्राम मण्डावा की जमाबंदी खाता संख्या 165 में प्रार्थी का अशुद्ध नाम बैजनाथ पुत्र जयदेव के स्थान पर बजरंगलाल पुत्र जयदेव शुद्ध करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मण्डावा को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर झुन्झुनू (राज.)	